12.09.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उभयपक्ष विगत कई तिथियों से अनुपस्थित आ रहे हैं पूर्व में अनेक तिथियों पर पक्षकारों को उपस्थित होने हेतु अंतिम अवसर दिया जा चुका है परंतु न तो वादी और न ही प्रतिवादी की तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित है और न ही कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उभयपक्षों को मामले के निस्तारण में कोई रूचि नहीं है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत वादी का मूलवाद उभयपक्षों की अनुपस्थिति के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत मूलवाद संख्या 1034/2022 उभयपक्षों की अनुपस्थिति के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(जसवीर सिंह यादव)
सिविल जज (सी०डि०),
गाजियाबाद।